भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2017
जिसका उत्तर गुरुवार, 05 दिसम्बर, 2019 को दिया जाना है

आंतरिक वाणिज्यिक विवाद निवारण तंत्र

2017. श्री देरेक ओब्राईन :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालयों, विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के बीच वाणिज्यिक विवादों से निपटने के लिए वतर्मान में मौजूद आतंरिक तंत्र का ब्यौरा क्या है ;

(ख) अदालती मुकदमे को हतोत्साहित करने में यह तंत्र कितना सफल है ; और

(ग) इसकी शुरुआत के वर्ष से तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) : जहां तक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई) से संबंधित वाणिज्यिक विवादों का अन्य सरकारी इकाइयों के साथ संबंध है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (डीपीई) ने वाणिज्यिक विवादों के समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्र पर मार्गदर्शक सिद्धांत जारी किए हैं जो अन्य बातों के साथ, तारीख 22.5.2018 के का.ज्ञा. (प्रति उपाबंध के रुप में उपाबद्ध है) द्वारा विवादों के समाधान के लिए दो स्तरीय तंत्र के लिए उपबंध करता है ।

एएमआरसीडी के इस तंत्र के अधीन विवादों का समाधान संबंध प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों, जिससे विवादकारी सीपीएसई/पक्षकार संबंधित है, के अधिकार क्षेत्र के भीतर आता है । विवादकारी पक्षकारों के संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सचिव और सचिव, विधिक कार्य विभाग, एएमआरसीडी तंत्र के विवाद समाधान के पहले स्तर के सदस्य हैं और अपील यदि कोई हो, दूसरे स्तर पर मंत्रिमंडल सचिव द्वारा विनिश्चित की जाती है ।

(ख) और (ग) : एएमआरसीडी मार्गदर्शक सिद्धांत, सीपीएसई द्वारा अन्य सरकारी इकाइयों के साथ हस्ताक्षरित की गई सभी वाणिज्यिक संविदाओं में सामर्थ्यकारी 'माध्यस्थम खंड' सम्मिलित करने का उपबंध करता है इस बात को बाध्यकारी बनाते हुए कि संविदा के किसी भी पक्षकार द्वारा किसी विवाद को केवल एएमआरसीडी तंत्र के माध्यम से समाधान के लिए उठाया जाएगा । इसके अतिरिक्त, एएमआरसीडी तंत्र से उदभूत् विनिश्चय उसके अनुपालन के लिए संबंद्ध पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा । इस विस्तार तक यह, जहां तक कि सीपीएसई का संबंध है, मुकदमों के क्षेत्र को सीमित करते हैं । तथापि, एएमआरसीडी द्वारा उसके आरम्भ से निपटाए गए विवादों का ऐसा कोई केंद्रीकृत आंकड़ा उपलब्ध नहीं है ।

****

फा.सं. 4(1)/2013-डीपीई(जीएम)/एफटीएस-1835

भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

लोक उद्यम विभाग

....

लोक उद्यम भवन,
ब्लॉक सं. 14, सी.जी.ओ. कॉम्लेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
तारीख 22 मई, 2018

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई) के आपसी तथा सीपीएसई एवं सरकारी विभागों/संगठनों के बीच के वाणिज्यिक विवादों का निपटान- सीपीएसई विवादों के समाधान हेतु प्रशासनिक तंत्र (एएमआरसीडी)।

अधोहस्ताक्षरी को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई) के आपसी तथा सीपीएसई एवं सरकारी विभागों/संगठनों (रेल, आयकर, सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क विभागों से संबंधित विवादों को छोड़कर) के बीच के वाणिज्यिक विवादों का पीएमए (स्थायी माध्यस्थम तंत्र) तंत्र के माध्यम से समाधान करने से संबंधित लोक उद्यम विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 4(1)/2011-डीपीई(पीएमए)-जीएल, तारीख 12.06.2013; सं. 4(1)/2011-डीपीई(पीएमए), तारीख 24.03.2014; सं. 4(1)/2011-डीपीई (पीएमए), तारीख 26.03.2014 तथा सं. 4(1)/2013-डीपीई(पीएमए)/एफटीएस-1835, तारीख 11.04.2017 द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों का अवलोकन करने का निदेश हुआ है।

2. इस तंत्र को और अधिक प्रभावी बनाने तथा विवादकारी पक्षकारों के लिए बाध्यकारी करने हेतु विभिन्न हितधारकों के परामर्श से द्विस्तरीय संरचना वाली एक नयी तंत्र अर्थात सीपीएसई विवादों के समाधान हेतु प्रशासनिक तंत्र (एएमआरसीडी) तैयार की गई है। यह तंत्र इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से लागू होगी तथा विद्यमान पीएमए तंत्र समाप्त हो जाएगी।

3. **लागु होना**

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई)/पत्तन न्यासों के आपसी तथा सीपीएसई एवं सरकारी विभागों/संगठनों (रेल, आयकर, सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क विभागों से संबंधित विवादों को छोड़कर) के बीच की वाणिज्यिक संविदाओं के उपबंधों के निर्वचन और लागु होने से संबंधित किसी भी विवाद अथवा मतभेद की स्थिति में

ऐसे विवाद अथवा मतभेद का समाधान किसी भी पक्षकार द्वारा एएमआरसीडी के माध्यम से किया जाएगा।

4. वाणिज्यिक विवादों का समाधान करने के लिए अनुमोदित नये तंत्र के अनुसार संबंधित विवादकारी पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित संरचना एवं प्रक्रिया का पालन किया जाएगा:

क. **संरचना:**

i. प्रथम चरण में ऐसे वाणिज्यिक विवादों को, विवादकारी सीपीएसई/पक्षकार जिन प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से संबंधित हैं, उनके सचिवों तथा सचिव, विधि कार्य विभाग को शामिल करके गठित की गई समिति को भेजा जाएगा। संबंधित दोनों प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के वित्तीय सलाहकार उपर्युक्त समिति के समक्ष विवाद से संबंधित मामले को प्रस्तुत करेंगे। यदि दोनों विवादकारी पक्ष एक ही मंत्रालय/विभाग से संबंधित हों तो उक्त समिति में संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सचिव, विधि कार्य विभाग के सचिव तथा लोक उद्यम विभाग के सचिव शामिल होंगे। ऐसी स्थिति में, उस मंत्रालय/विभाग के वित्तीय सलाहकार एवं एक संयुक्त सचिव द्वारा मामले को समिति के समक्ष रखा जाएगा।

इसके अतिरिक्त, सीपीएसई एवं राज्य सरकार के विभाग/संगठन के बीच विवाद होने की स्थिति में उक्त समिति में संघ के उस मंत्रालय/विभाग, जिससे सीपीएसई संबंधित है, के सचिव तथा विधि कार्य विभाग के सचिव एवं संबंधित राज्य के मुख्य सचिव द्वारा नामित एक वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इस स्थिति में, समिति के समक्ष संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के वित्तीय सलाहकार तथा राज्य सरकार के संबंधित विभाग/संगठन के प्रधान सचिव द्वारा मामले को रखा जाएगा।

ii. यदि उपर्युक्त समिति द्वारा विचार किए जाने के उपरांत भी विवाद का समाधान नहीं होता है तो द्वितीय चरण में इसे मंत्रिमण्डल सचिव के पास भेज दिया जाएगा जिसका निर्णय अंतिम एवं सभी पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

ख. **प्रक्रिया**

i. प्रथम चरण में दावा करने वाला पक्षकार (दावेदार) अपने प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सचिव के समक्ष विवाद को प्रस्तुत करने के लिए अपने प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के वित्तीय सलाहकार से संपर्क करेगा। दावा करने वाले पक्षकार के प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग का सचिव इसके बारे में प्रतिवादी पक्षकार (प्रतिवादी) के प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सचिव तथा विधि कार्य

विभाग के सचिव को सूचित करेगा। इसके पश्चात, तथ्यों की जांच करने तथा गुण दोषों के आधार पर विवाद का समाधान करने के लिए दावा करने वाले पक्षकार के प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग में बैठकें होंगी। संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के वित्तीय सलाहकार उपर्युक्त समिति के समक्ष विवाद से संबंधित मुद्दों को रखेंगे। समिति द्वारा विनिश्चय किए जाने के उपरांत दावा करने वाले पक्षकार के प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सचिव निर्णय लिखेंगे जिस पर दोनों सचिवों तथा विधि कार्य विभाग के सचिव द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे। दावा करने वाला पक्षकार के प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सचिव द्वारा इस निर्णय की प्रति विवाद से संबंधित प्रत्येक पक्षकार को कार्यान्वयन हेतु प्रेषित की जाएगी।

यदि विवाद में एक पक्षकार (प्रथम पक्षकार) किसी राज्य सरकार का विभाग/संगठन हो तो विवाद को स्वीकार करने की प्रक्रिया वही होगी, तथापि विवाद के समाधान के संबंध में सभी बैठकें अन्य पक्षकार (दूसरे पक्षकार) के प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग (संघ) में होंगी भले ही पहला पक्षकार दावेदार हो अथवा प्रतिवादी। इस मामले में उपर्युक्त समिति के समक्ष मुद्दों का प्रस्तुतीकरण संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के वित्तीय सलाहकार तथा राज्य सरकार के संबंधित विभाग/संगठन के प्रधान सचिव द्वारा किया जाएगा।

ii. प्रथम चरण में सचिवों की समिति को संबंधित व्यथित पक्षकार से विवाद के संबंध में लिखित संदर्भ/नोटिस प्राप्त होने के तीन महीने के भीतर अपना निर्णय ले लेना होगा।

5. **अपील**

यदि कोई पक्षकार प्रथम चरण में समिति के विनिश्चय से संतुष्ट नहीं होता है तो वह प्रथम चरण में समिति का निर्णय प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर द्वितीय चरण में अपने प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के माध्यम से मंत्रिमण्डल सचिव के समक्ष अपील कर सकता है जिसका निर्णय अंतिम होगा तथा सभी संबंधित पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

6. **माध्यस्थम खण्ड**

(i.) सीपीएसई अपने सीपीएसई की आपसी तथा सीपीएसई एवं सरकारी विभागों/संगठनों के बीच की सभी मौजूदा तथा भविष्य की वाणिज्यिक संविदाओं में निम्नानुसार एक खण्ड शामिल करना सुनिश्चित करेगा:

‘‘लोक उद्यम विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 4(1)/2013-डीपीई(जीएम)/एफटीएस-1835, तारीख 22.05.2018 के अनुसार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई)/पत्तन न्यासों के आपसी तथा सीपीएसई एवं सरकारी विभागों/संगठनों

(रेल, आयकर, सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क विभागों से संबंधित विवादों को छोड़कर) के बीच की वाणिज्यिक संविदाओं के उपबंधों के निर्वचन और लागु होने से संबंधित किसी भी विवाद अथवा मतभेद की स्थिति में ऐसे विवाद अथवा मतभेद का समाधान किसी भी पक्षकार द्वारा एएमआरसीडी के माध्यम से किया जाएगा। ”

(ii.) वर्तमान समय में जारी संविदाओं में भी इसी के अनुसार यथोचित संशोधन किया जाएगा।

7. **पीएमए में लंबित मामलों का निपटान**

एकल मध्यस्थ-पीएमए एवं अपीलीय प्राधिकारी के पास लंबित सभी मामले तत्काल प्रभाव से संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/ विभागों के पास अंतरित हो जाएंगे जहां उपर्युक्त उल्लिखित निपटान समाधान तंत्र के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ऐसे सभी मामलों, जहां एकल मध्यस्थ द्वारा सुनवाई पूरी हो गई हो, में एकल मध्यस्थ द्वारा निर्णय दिया जाएगा। यदि ऐसे मामलों में कोई अपील करनी हो तो द्वितीय चरण में मंत्रिमण्डल सचिव को की जाएगी।

8. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/पत्तन न्यासों आदि से संबंधित सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि इस दिशा निर्देश का कड़ाई से अनुपालन कराने हेतु इसे अपने प्रशासनिक नियंत्रण वाले सभी सीपीएसई के ध्यान में लाएं।

9. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

ह0
(जे.एन.प्रसाद)
निदेशक
दूरभाष 24360736

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव।
2. सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव।

प्रतिलिपि:

1. श्री जी.एस. यादव, संयुक्त सचिव एवं मध्यस्थ-पीएमए, डीपीई।
2. सभी सीपीएसई के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक अनुपालन हेतु।

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित:

(i) प्रधानमंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
(ii) मंत्रिमण्डल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।

(iii) मंत्री (एचआई एवं पीई) के निजी सचिव, उद्योग भवन, नई दिल्ली।

(iv) सचिव (डीपीई), सीजीओ कॉम्लेक्स, नई दिल्ली।

(v) सचिव (विधि), विधि कार्य विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

ह0

(जे.एन.प्रसाद)

निदेशक

दूरभाष 24360736